

Press Release

दिनांक: 16 जून 2026

दिल्ली जल बोर्ड में नव नियुक्त उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने संभाला कार्यभार

दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में श्री सतीश उपाध्याय ने उपाध्यक्ष, दिल्ली जल बोर्ड के रूप में तथा श्री मनोज कुमार शोकिन, श्री अजय कुमार महावर एवं श्री राजेश कुमार गोयल (सदस्य, दिल्ली छावनी परिषद) ने सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला। इस कार्यक्रम में सुश्री बांसुरी स्वराज, माननीया सांसद (नई दिल्ली), श्री अनिल कुमार शर्मा, माननीय विधायक (आर.के. पुरम), श्री अभय वर्मा, मुख्य सचेतक (दिल्ली विधान सभा) एवं अन्य गणमान्यों विशेष उपस्थिति रही। कार्यक्रम में दिल्ली जल बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मेंबर फाइनेंस, मेंबर एडमिन एवं अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त नव नियुक्त पदाधिकारियों ने दिल्लीवासियों को बेहतर, पारदर्शी एवं जन-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने तथा बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री के 'स्वच्छ भारत', नदी संरक्षण एवं जल संरक्षण के विज्ञान के अनुरूप दिल्ली जल बोर्ड राजधानी में जल एवं सीवरेज अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहा है।

इसी दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा 'यमुना जीर्णोद्धार योजना' के अंतर्गत सीवरेज उपचार क्षमता बढ़ाने तथा दिसंबर 2028 तक सभी अनाधिकृत कॉलोनिजों को सीवर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अवैध जल कनेक्शनों को नियमित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ₹ 1,000 तथा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ₹ 5,000 के रियायती शुल्क पर कनेक्शन नियमित किए जा रहे हैं, ये स्कीम 31 अगस्त 2026 तक लागू हैं। इस अभियान के तहत अब तक 3,107 कनेक्शनों को वैध बनाया जा चुका है।

जल गुणवत्ता निगरानी को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से गुल मोहर पार्क में 24x7 रियल-टाइम जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु अत्याधुनिक ऑनलाइन सेंसर आधारित पायलट परियोजना (Online water quality analyser) प्रारंभ की गई है, जिसके सफल होने पर भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी इसे विस्तारित किया जाएगा। ऑनलाइन सेंसर प्रणाली जल गुणवत्ता के प्रमुख मानकों, जैसे अवशिष्ट क्लोरीन (Residual Chlorine), टर्बिडिटी (Turbidity), pH तथा कुल घुलित ठोस पदार्थ (TDS) की 24x7 सतत निगरानी सुनिश्चित करती है। पारंपरिक मैनुअल सैंपलिंग पद्धतियों के विपरीत यह प्रणाली रियल-टाइम डेटा उपलब्ध कराती है, जिससे अभियंता जल गुणवत्ता में होने वाले किसी भी उतार-चढ़ाव की तुरंत पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।

उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा संचालित LPSC वेवर स्कीम, जो 15 अगस्त 2026 तक प्रभावी है, के अंतर्गत अब तक 4.6 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है तथा ₹ 637.01 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया है।

नागरिकों की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के उद्देश्य से दिल्ली जल बोर्ड 18 से 20 जून 2026 तक दिल्ली के 39

विन्हित स्थलों पर आयोजित जन कल्याण शिविरों में सक्रिय भागीदारी करेगा। इन शिविरों के माध्यम से जलापूर्ति, सीवेज एवं जल बिलिंग से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जायेगा। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे तथा विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे।

नव नियुक्त पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दिल्ली जल बोर्ड में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं किसी भी तरह के माफियाओं के प्रति जीरो टॉल रेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष ने कहा कि, जल्द ही एक मेगा जन सुनवाई शिविर, का आयोजन किया जायेगा, जिसमें RWA एवं जनता से जुड़ी सभी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान किया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष एवं नव नियुक्त सदस्यों ने मेंबर फाइनेंस, मेंबर एडमिन के साथ, आज एक मीटिंग भी की, जिसमें उन्होंने जल बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के चीफ इंजिनियर्स एवं उच्च अधिकारियों के साथ भी मीटिंग की और सभी अधिकारियों से विभाग की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रेजेंटेशन तैयार करने एवं अगले तीन महीनों के लिए विभाग की कार्ययोजना (Roadmap) भी तैयार करने के लिए कहा गया।

माननीय उपाध्यक्ष एवं नव नियुक्त सदस्यों ने अन्य गणमान्यों एवं उपस्थित अतिथियों के साथ जल बचाने एवं उसके सदुपयोग की शपथ ली।

वरुणों महादेवों अपाय पति:
वरुण देवता जल, धरती आकाश के देवता हैं ।
जल संरक्षण में जन भागीदारी

दिल्ली जल बोर्ड ने नागरिकों से वर्षा जल संचयन को अपनाने तथा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है।

दिल्ली जल बोर्ड का विश्वास है कि इन पहलों के माध्यम से राजधानी में जल प्रबंधन, उपभोक्ता सेवाओं और यमुना पुनर्जीवन के प्रयासों को नई गति मिलेगी तथा दिल्लीवासियों को बेहतर, विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त होंगी।

दिल्ली जल बोर्ड